



सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 08.08.2025

चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा ट्रॉली चोरी करने वाले 02

अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से चोरी की गयी ट्रॉली, 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में **थाना सहसों पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.08.2025 को वादी राहुल कुमार पुत्र मेवाराम निवासी सिरसा थाना सहसों जनपद इटावा द्वारा थाना सहसों पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि वादी की ट्राली फूप चौरैला मार्ग पर विनोद पुत्र निवासी सिरसा, सहसों, इटावा के घर के सामने खड़ी थी। दिनांक 02.08.2025 को जब वादी ग्राम सिरसा वापस आया तो ज्ञात हुआ कि उक्त ट्रॉली दिनांक 31.07.2025 तक विनोद के घर के सामने खड़ी थी जिसको अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। सूचना पर तत्काल **थाना सहसों पर मु0अ0सं0 35/2025 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 07/08.08.2025 की रात्रि को थाना सहसों पुलिस टीम कोला चौराहा चौकी विण्डवा कला क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति जिनके पास चोरी की ट्रॉली, ट्रैक्टर तथा अवैध असलहा भी है, कहीं जाने की फिराक में ग्राम नदा को जाने वाले रोड पर खड़े हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना सहसों पुलिस टीम द्वारा 02 व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग कर **नदा मोड के पास से ट्रैक्टर - ट्रॉली सहित** पकड़ लिया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों से नाम-पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 01 तमन्चा 12 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गये। जिनके संबंध में लाइसेंस मांगे जाने पर दिखाने में असमर्थ रहे। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया गया कि हम दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह ट्राली दिनांक 31.07.2025 की रात्रि में फूप चौरैला मार्ग से एक मकान के सामने से चोरी की थी।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सहसों पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 35/2025 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामबाबू पुत्र भारत सिंह निवासी किटी थाना उमरी जनपद भिण्ड म0प्र0 उम्र करीब 40 वर्ष ।
2. मुनेश यादव पुत्र श्रीकृष्ण निवासी नगला नरपत थाना भरथना जनपद इटावा उम्र करीब 31 वर्ष ।

बरामदगी:-

1. 01 ट्रॉली चोरी की (मु0अ0सं0 35/2025 से संबंधित)
2. 01 अवैध तमंचा 12 बोर
3. 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 35/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहसों जनपद इटावा ।

आपराधिक इतिहास:-

रामबाबू पुत्र भारत सिंह

1. मु0अ0सं0 23/2011 धारा 302/394/396/412 भादवि थाना सहसों जनपद इटावा ।
2. मु0अ0सं0 65/2012 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सहसों जनपद इटावा ।
3. मु0अ0सं0 403/2016 धारा 201/302/364/394/411 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा ।
4. मु0अ0सं0 73/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा ।
5. मु0अ0सं0 140/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बढपुरा जनपद इटावा ।
6. मु0अ0सं0 35/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहसों जनपद इटावा ।

पुलिस टीम- प्रभारी निरी0 श्री अलमा अहिरवार थाना सहसों, उ0नि0 विजय सिंह, उ0नि0 घनश्याम सिंह, हे0का0 अभिनाथ सिंह, का0 गौरव कुमार ।

